न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 20 / 2019 अपील / प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 21.02.2019
निर्णय दिनांक– 27.06.2019

1. श्री अब्दुल हमीद पिता अब्दुल कादर मुसलमान निवासी प्रतापगढ़

. ..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुमन पत्नी महावीर कुमार जैन निवासी प्रतापगढ़
2. श्रीमती दीप्ति पत्नी सुरेश कुमार जैन निवासी प्रतापगढ़
3. श्रीमती चंद्रकांता पत्नी सेवंतीलाल चण्डालिया जैन निवासी प्रतापगढ़
4. श्री सेवंतीलाल पिता मांगीलाल चण्डालिया जैन निवासी प्रतापगढ़
5. श्री सुरेन्द्र कुमार पिता सेवंतीलाल चण्डालिया जैन निवासी प्रतापगढ़
6. श्री महावीर कुमार पिता सेवंतीलाल चण्डालिया जैन निवासी प्रतापगढ़
7. श्रीमती कविता पत्नी जंबू कुमार पामेचा निवासी रतलाम (म0प्र0)
8. जंबु कुमार पिता अभय कुमार पामेचा निवासी रतलाम (म0प्र0)
9. सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री पी.सी. पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री प्रेमचन्द्र मोगरा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 45 / 2018 निर्णय दिनांक 08.01.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक–27.06.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 45/2018 निर्णय दिनांक 08.01.2019 के विरूद्ध दिनांक 21.02.2019 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 (अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट) ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 310 रकबा 4.68 है0 भूमि उनके नाम की है एवं इससे लगती हुई भूमि आराजी नम्बर 314 रकबा 2.00 है0 अपीलान्ट (अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट) की है। सेटलमेन्ट के दौरान भूमि जमाबन्दी में तो सही दर्ज की गई, किन्तु नक्शे की तरमीमी में आराजी नम्बर 310 में 0.85 है0 कम तरमीम की गई एवं आराजी नम्बर 314 में 0.85 है0 की तरमीम ज्यादा कर दी गई, जिसे शुद्ध किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.01.2019 से आराजी नम्बर 310 रकबा 4.68 है. नक्शा ट्रेस में कम तरमीम रकबे को एवं आ.नं. 314 के अधिक तरमीम रकबे को सही तरमीम करने की स्वीकृति दी गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 तक की ओर से श्री प्रेमचन्द्र मोगरा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ताओं की दिनांक 12.06.2019 को बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुने बिना जवाब बन्द कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा

कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे साबिक व हाल नक्शे अनुसार उनका प्रकरण/क्लेम प्रमाणित होता हो, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सबूत आवेदन आनन–फानन स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेजात भी पेश नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आधार पर निर्णय किया वह मौका रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व की एकतरफा रिपोर्ट है। इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण में नक्शे का संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रकरण में विवाद की स्थिति के दृष्टिगत वाद किया जाकर ही निर्णय किया जाना चाहिये, विवाद की स्थिति (बिना सहमति के प्रकरण) में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाय।

इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्य व रेकर्ड के अनुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण के आधार पर सही निर्णय पारित किया है तथा सुस्पष्ट रूप से जमाबन्दी की प्रविष्टि से असंगत नक्शे की दुरूस्ती का जो आदेश पारित किया गया वह गणितिय रूप से/ तथ्यात्मक रूप से तथा मौका रिपोर्ट के आधार पर सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाय।

प्रकरण में हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर प्रकरण में उभय पक्ष के कथनोपकथन पर विचार कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के प्रकरण पर अपीलान्ट का वकालत पत्र दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 10.09.2018 एवं 13.11.2018 की पेशीयों पर पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में तारीख तब्दील होने के बाद आगामी दिनांक 03.01.2019 को अपीलान्ट का जवाब बन्द कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यन्त शीघ्रता पूर्वक जवाब बन्द किया गया है, इसके बाद आगामी पेशी दिनांक 08.01.2019 पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की बहस सुनकर तथा पटवारी की एकतरफा मोका रिपोर्ट जो प्रकरण दायरी दिनांक को ही तैयार की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में सिर्फ यह अंकित किया है कि–

'बहस सुनी गई और मौजा प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 310 रकबा 4.68 हैक्टेयर का कम रकबा नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 314 में अधिक हो जाने से पुनः 310 में तरमीम करने की स्वीकृति दी जाती है'

अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय न तो स्पीकिंग है, न ही किसी तथ्य, विधि, रेकार्ड या साक्ष्य की विवेचना आधार पर अवलम्बित है। प्रकरण में विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटियों का निराकरण भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी द्वारा इस आशय का कोई दस्तावेज, मिलान क्षेत्रफल, साबिक व हाल रेकार्ड/नक्शा इत्यादि पेश नहीं किये है, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुॅचा जा सके कि आराजी नम्बर 310 एवं 314 के साबिक नम्बर व रकबा क्या था तथा साबिक व हाल नक्शे में जमाबन्दी की तुलना में अन्तर आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपने निर्णय में निर्णय का कोई आधार नहीं बताया है, यदि कयास भी लगाया जाय तो पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट जो कि प्रकरण दायरी दिनांक की ही एकतरफा रिपोर्ट है, उसमें भी उक्त बिन्दु की त्रुटि भू–प्रबन्ध विभाग के कारण होकर नक्शे व जमाबन्दी में अन्तर है, बाबत स्पष्टता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित व पर्याप्त सुनवाई–प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने तथा आधारहीन व नोनस्पीकिंग होने से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर उभय पक्षों से दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्त कर उभय पक्षों को सुनकर प्रकरण में धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत प्रकरण की विधि अनुसार पोषणीयता का विश्लेषण कर आधारपूर्ण, आख्यापक एवं विधि संगत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.08.2019 को पेश हो।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

(एल0 एन0 मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर